न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 49/2021
GCMS NO. : 2021/114

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थी ::–
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण जिला पाली।		1. आईदान घासल पुत्र पूसाराम घासल जाति जाट निवासी झडाउकलां तहसील रियांबडी जिला नागौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 29/09/2021

उपस्थितः. 1. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय : दिनॉकः 28/02/2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 17/1 कुल रकबा 0.2023 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मौजा हिंगाणिया पटवार मण्डल बलाडा में स्थित है। उक्त आराजी का प्रार्थी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) है, अनावेदकगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 उपर वर्णित जमीन को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से वाणिज्यिक (गैस गोदाम) प्रयोजनार्थ जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है, जिसका अप्रार्थी को कोई हक नहीं है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टिनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र में वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जावेंगे तो प्रार्थी (राजस्थान सरकार) को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भली भांति साबित है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मौजा हिंगाणिया पटवार मण्डल बलाडा की भूमि खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किसी प्रकार से अकृषि कार्य (गैस गोदाम) के रूप में उपयोग में ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

लेवें, ना ही किसी अन्य को विक्रय कर खुर्द बुर्द करें व ना ही रहन करें, मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि का अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रा.पत्र का पद संख्या 2 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे अप्रार्थी नामंजूर करता है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि को परिवर्तन कराने हेतु फाईल तैयार कर दी थी। लेकिन कोरोना काल व पटवारी हल्का की हड़ताल के चलते उक्त भूमि को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ हेतु देरी हुई है, राजस्थान सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। प्रा.पत्र का पद संख्या 3 पूर्णतया गलत है जिसे अप्रार्थी नामंजूर करता है। अप्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन करवाने की प्रक्रिया चालू है तो उक्त भूमि बेदखल एवं पाबन्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। राजस्थान सरकार के नये नियमों के तहत वादी अपनी भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये भी प्रयोग कर सकता है। प्रा.पत्र का पद संख्या 4 पूर्णतया गलत व अस्वीकार है। पद संख्या 5 में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उक्त तथ्यों के अलावा पूरा फिकरा गलत व अस्वीकार है। पद संख्या 6 अप्रार्थी नामंजूर करता है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। पद संख्या 7 गलत व अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन ही नहीं है तो प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का उत्तराधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रा.पत्र के आधार पर प्रार्थना-पत्र को खारिज फरमावें।

बहस राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

- **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के कृषि भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए गैर-कृषिक (गैस गोदाम) के प्रयोजनार्थ उपयोग लिये जाने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध वाद अन्तर्गत अहितकर कार्य या शांति भंग के लिए बेदखली अन्तर्गत धारा 177 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) उपलब्ध है जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के वाणिज्यिक संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किये जाने (आवेदन की प्रतिलिपि पत्रावली पर उपलब्ध है) एवं हानि की क्षतिपूर्ति किये जाने की सीमा तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की गई थी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र अभिमत में पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 16:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट एवं फॉटोग्राफ से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

- **<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–</u>** पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि को गैर–कृषिक रूप में उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित शर्तो के उल्लंघन करने से निश्चित ही राजस्थान सरकार को असुविधा हुई है। साथ ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए गैर–कृषिक उपयोग में लेने से राजकोष को हानि होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन एवं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र वास्ते सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन करवाने एवं हानि की क्षतिपूर्ति किये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हम न्यायहित में अप्रार्थी को प्रश्नगत आराजी सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त किये जाने एवं इससे संबंधित कार्यवाही की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए ताफैसला वाद प्रश्नगत आराजी के मौके की स्थिति में परिवर्तन न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा हिंगाणिया पटवार हल्का बलाडा भू–अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में अकृषिक प्रयोग ली गई खसरा नम्बर 17/1 के रकबा 0.083 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में अप्रार्थी को सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने एवं इससे संबंधित कार्यवाही की सीमा तक छूट प्रदान करते हुए मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु अप्रार्थी/गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.26 15:52:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)